2

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0
प्रकरण कंमाक /2006 निगरानी

R 1053/88R/06

श्री रविशंकर बंसल द्वारा आज दि० 15/11/06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1.नत्थाराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद
2.नारायण पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद
3.राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद
4.श्रीमती कैलाशी विधवा स्व0 श्री रामप्रसाद
5.विमला पुत्री स्व.रामप्रसाद पत्नी श्री राजेश
6.उमा पुत्री स्व.रामप्रसाद पत्नी गोविन्ददास
7.कमला पुत्री स्व.रामप्रसाद पत्नी राधेलाल
8.शांन्तीवाई पत्नी स्व.छिद्दीराम,उम्र–45वर्ष
9.कल्लू पुत्र स्व.श्री छिद्दीराम,उम्र–25वर्ष
10.भोला पुत्र स्व.श्री छिद्दीराम,उम्र–23वर्ष
11.बल्लू पुत्र स्व.श्री छिद्दीराम,उम्र–20वर्ष
12.मुरारी पुत्र स्व.श्री छिद्दीराम,उम्र–21वर्ष
13.पप्पू पुत्र स्व.श्री छिद्दीराम,उम्र–15वर्ष नावालिग व सरपरस्त माता शांन्तीबाई पत्नी स्व. श्री छिद्दीराम
14.श्रीमती मुन्नीवाई पत्नी श्री गैदालाल,पुत्री स्व0 श्री छिद्दीराम,उम्र–29साल
15.श्रीमति छोटीवाई पत्नी श्री डब्बूराम पुत्री स्व0श्री छिद्दीराम, उम्र–27साल
16.भोगीराम पुत्र श्री सामलिया
समस्त निवासीगण–ग्राम मस्तूरा,तहसील भितरवार,जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश
———आवेदकगण

बनाम

1.हीरालाल पुत्र श्री पतुआ
2.रतनलाल पुत्र श्री पतुआ
3.विग्गो उर्फ गुड्डी पुत्री श्री पतुआ
4.छोटी पुत्री श्री पतुआ,उम्र–21वर्ष

——2पर R.Bansal

5.रामवाई पुत्री श्री पतुआ,उम्र—19वर्ष
6.बाबूलाल पुत्र श्री वल्ला
7.हुकमा पुत्र श्री नकुला
समस्त निवासीगण ग्राम मस्तूरा,तहसील—भितरवार,जिला ग्वालियर म0प्र0

——अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29.03.2006 माननीय अपर आयुक्त महोदय सम्भाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 198/2000—2001 अ0 मा0 व उन्मान नत्थाराम आदि बनाम हीरालाल आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1053–पीबीआर/06 [नत्थाराम/हीरालाल] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29–3–2006 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर संहिता की धारा 190 एवं 110 के अंतर्गत नामांतरण की मांग की गई है । इस संबंध में आवेदकगण का केवल विपरीत कब्जा माना जा सकता है । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी विधिसंगत है कि तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 190 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार दिये जाने की शक्तियां राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । अतः उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	